

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी \_\_\_\_\_ शर्मा विपक्षी \_\_\_\_\_ देवा  
 किस्म मुकदमा 212 PTA 2017 पत्रावली संख्या 30/24 सन \_\_\_\_\_

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---------	-----------------	---

14/10/24  
 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई।  
 प्रति./विपक्षी/रेस्पों. को जरिये सम्मन/  
 नोटिस तलब किये जाकर पत्रावली बाद  
 तलबी दि. 07/11/24 को पेश हो।

*[Signature]*  
 सहायक कलक्टर एवं  
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
 (फास्ट ट्रेक) मावली

07/11/24 पत्रावली पेश हुई। अधि. प्रार्थी उपस्थित।  
 विपक्षी अवरुद्ध। कि मोर से अधि. हीमती निचिनेडा  
 पगारिया द्वारा मुजवादे में उक्तानत पत्र पेश  
 किया। वि.न. 2 के सम्मन बाद तलबी प्राप्त।  
 पत्रावली वास्तु जवाब दिनांक 01/12/24 को पेश  
 हो।

01/12/24  
 कुलुवाय वादी/प्रतिवादी उप. जवाब  
 के लिये मौका चाहते है। अतः 02  
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 10/2/25  
 को पेश हो।

*[Signature]*  
 (SDO) मावली

10/2/25 पत्रावली पेश हुई। अधि. उभयपक्ष उप.  
 अधि. विपक्षी अवरुद्ध। द्वारा जवाब पेश करने का  
 अवसर पाया। आगामी पेशी पर अधि. विपक्षी  
 आवगच्छक रूप से जवाब पेश करे। पत्रावली  
 वास्तु जवाब न. 1 दिनांक 24/3/25 को पेश हो।

24/3/25  
 कुलुवाय वादी/प्रतिवादी उप. जवाब न. 1  
 के लिये मौका चाहते है। अतः अतिरिक्त  
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 21/5/25  
 को पेश हो।

*[Signature]*  
 SDO मावली



2/5/25  
वकुलाय बादी/अधिवक्ता (पत्रावली नं. 1)  
के लिये मौका चाहते हैं। अतः अतिरिक्त अंशों पर  
अवतर दिया जाकर पत्रावली दि. 16/5/25  
को पेश हो।

(SDO) मावली

16/5/25  
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान रुप.।  
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य  
स्थगित रखने/अधिकांश जी आज अदालत/  
भ्रमण/मीटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश  
के क्रम में दिनांक 20/1/25 को पेश हो।

8/2

20/06/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता  
प्राथमिक मय स्वयं प्राथमिक  
अनुपस्थित। अधिवक्ता प्राथमिक  
मय स्वयं प्राथमिक को बार-बार  
आवाजे दिलवाई गई। समय सांय  
5:00 PM हो चुके हैं। प्राथमिक एवं  
उन्हे अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित  
हैं। अतः अधिवक्ता प्राथमिक मय स्वयं  
प्राथमिक अनुपस्थित रहने पर प्राथमिक  
का प्राथमिक पत्र अदम लागी अदम पैरवी  
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल  
शुमार लेकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुले न्यायालय ह्युनाश गया।



सहायक क्लर्क  
(फास्ट ट्रेक) मावली